



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद
मुरादाबाद
211350030114595
042213035264

जारी दिनांक: 15/11/2021

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम

निवासी

ग्राम
तहसील
जिला

Roshni
Balveer Singh
Omawati
Moh- Pandit Nagla Post Sitapuri
Near Lodhi Wali Gali Moradabad
244001

मुरादाबाद
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की लोधी राजपूत जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि Roshni पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० मी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहिप छूट मीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



NITIN
TEWATIA

Digitaly Signed by NITIN
TEWATIA
O=U.P GOVERNMENT,
OU=REVENUE,
C=IN, CN=NITIN TEWATIA,
S=UTTAR PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 15/11/2021

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी मिस्ट्रम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल मिश्रेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की लौग इन आइडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।